न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 805 / 2023

अनवान : –

1. जसपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. नरेश पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

–**वादीगण**

बनाम्

1. रिंकु कुमार पुत्र केवल कुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अनिल कुमार पुत्र केवल कुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/04/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के दादा मेघराज पुत्र संतराम की खरीद शुदा भूमि रोही मौजा जोगीआसन संख्या 1 के ख0न0 35/1 की 0.265 हैक्ट भूमि में से 9/265 हिस्सा खातेदार काश्तकार है जो कि जरिये बैयनामा दिनांक 27.11.1997 से क्रय शुदा है।

रोही मौजा जोगीआसन संख्या 1 की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 16 में वर्तमान में ख0न0 35/1 की 0.265 हैक्ट भूमि बनाया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के दादा मेघराज के नाम 9/265 हिस्सा दर्ज हिस्सा है जिसकी वसीयत मेघराज ने अपनी जीवनकाल में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में दिनांक 01.03.2009 को स्वस्थ मन स्थिर चित से तहरीर करवा दी थी। वाद भूमि कम भूमि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज नही कर रहे है जबकि जमबांदी में दर्ज खातेदारी भूमि के नामान्तरण दर्ज नही होने से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मौलिक अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक वसीयत दिनांक 01.03.2009 के अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि छोटे टूकड़ो में है आबादी के चिपते हुए कृषि भूमि है वादीगण नामान्तरण दर्ज होने के पश्चात खाता विभाज[illegible]य या वाणिज्यक प्रयोजनार्थ भूमि की किस्म परिवर्तन करवाना चाह[illegible] के कारण भारी नुकसान वादीगण को होता है अतः न्यायाल[illegible] घोषणा करवाने के[illegible]कारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:46:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक वसीयत दर्ज कर देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी सं0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया कि वादी ने वाद भूमि मे घोषणा करवाने का कथन कर अपने हकों की घोषणा चाही गई है प्रार्थी स्वयं साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित करें एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान श्री ओमप्रकाश पुत्र मेघराजजाति अग्रवाल निवासी मेहरवाला ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी चित्रप्रति दस्तावेज वसीयतनामा, दस्तावेज बैयनामा विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र मेघराज आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के दादा मेघराज के नाम 9/265 हिस्सा दर्ज हिस्सा है जिसकी वसीयत मेघराज ने अपनी जीवनकाल में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में दिनांक 01.03.2009 को स्वस्थ मन स्थिर चित से तहरीर करवा दी थी। वाद भूमि कम भूमि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज नही कर रहे है जबकि जमबांदी में दर्ज खातेदारी भूमि के नामान्तरण दर्ज नही होने से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मौलिक अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक वसीयत दिनांक 01.03.2009 के अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत [illegible] राही मौजा जोगीआसन संख्या 1 के ख0न0 35/1 की 0.265 हैक्ट भूमि [illegible] पुत्र संतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन [illegible] पुत्र संतराम का देहान्त हो चुका है उक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:46:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमी की वसीयत मेघराज ने अपनी जीवनकाल में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में दिनांक 01.03.2009 को स्वस्थ मन स्थिर चित से तहरीर करवा दी थी। उक्त वसीयत पर बतौर गवान ओमप्रकाश पुत्र मेघराज के समक्ष मेरे पिता ने वसीयत तहरीर करवाई थी। वादी के कथनों एवं उक्त वसीयत के संबंध में गवाहन ओमप्रकाश पुत्र मेघराज ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वाद भूमि की वसीयत मेघराज पुत्र संतराम ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में मेरे सामने तहरीर करवायी थी एवं वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष उक्त वसीयत पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिवादीगण ने वादी के उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन तहसील नोहर के ख0न0 35/1 की 0.265 हैक्ट भूमि में से का 9/265 हिस्सा भूमि में मेघराज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 चारों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/4/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पंकज गढ़वाल
(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:46:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 805/2023

अनवान : –

1. जसपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. नरेश पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. रिंकु कुमार पुत्र केवल कुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अनिल कुमार पुत्र केवल कुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 805 सन 2023 निर्णय दिनांक – 25/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन तहसील नोहर के ख0न0 35/1 की 0.265 हैक्ट भूमि में से का 9/265 हिस्सा भूमि में मेघराज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 चारों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/4/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:46:54 IST
Reason: SelfAttested